

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

3327  
23.05.2017

संकल्प

विषय:- नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत स्थापित सर्वश्री जुडको लिमिटेड के स्तर पर राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व संग्रहण एवं अनुश्रवण कोषांग के रूप में परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) के गठन के संबंध में।

राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों को मूलभूत सेवाएँ, यथा-जलापूर्ति, जल निकासी, सिवरेज, साफ-सफाई, स्वच्छता, परिवहन, मनोरंजन, स्ट्रीट लाईट इत्यादि समस्याओं के समुचित समाधान हेतु शहरी निकायों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की आवश्यकता है, ताकि निकट भविष्य में निकाय इन सेवाओं को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदान करने में सक्षम हो सके। अतः शहरी स्थानीय निकायों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रभावी राजस्व संग्रहण की उचित व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है।

2. उपर्युक्त योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत राज्य एवं निकाय स्तर पर राजस्व संग्रहण हेतु सुदृढ़ व्यवस्था गठित किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, अमृत योजनान्तर्गत चयनित स्थानीय निकायों में 90% राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निदेश केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है।

3. राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान वर्ष के राजस्व संग्रहण (Property Tax & Water Tax) के मांग एवं वसूली की राशि निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :-

क्र० स०	कुल HH	कुल Holding (Under Tax Net)	कुल मांग	कुल वसूली	प्रति शत वसूली
1	8.36 लाख	3.41लाख	493.14 Cr	72.74 Cr	14.75%

4. उक्त तालिका के विवेचनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि शहरी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत कुल 8.36 लाख परिवार निवास करते हैं। इसमें से कुल 3.41 लाख परिवार ही कर का भुगतान करते हैं। शेष 4.95 लाख परिवार कर क्षेत्र में समाहित नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार 493.14 करोड़ रुपये कर मांग के विरुद्ध मात्र 72.74 करोड़ रुपये की वसूली होती है जो कुल मांग का 14.75 प्रतिशत है। यह आकड़ा शहरी स्थानीय निकायों के कमजोर कर संग्रहण प्रबंधन को दर्शाता है। इसका प्रतिकूल असर शहरी स्थानीय निकायों में निवास करने वाले नागरिकों के मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर पड़ता है।

5. उपर्युक्त स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षित एवं पेशेवर कार्मिकों द्वारा राजस्व संग्रहण के विभिन्न श्रोतों को चिन्हित एवं क्रियाशील करने तथा संसाधनों के समुचित उपयोग एवं उसके सतत् अनुश्रवण की आवश्यकता है, ताकि शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर एवं सबल बनाया जा सके एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में शहरी स्थानीय निकाय सक्षम हो सके।

6. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में झारखण्ड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विश्व बैंक संपोषित योजना, यथा-जलापूर्ति, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, पथ निर्माण, नमामि गंगे परियोजना, अमृत योजना, आई०एस०बी०टी० एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना इत्यादि का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विश्व बैंक के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 300.00 मिलियन डालर (लगभग 2000 करोड़) का वित्त पोषण का प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है।

7. विश्व बैंक के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में भ्रमण के दौरान राजस्व संग्रहण के अकुशल प्रबंधन की चर्चा की गई है। राजस्व संग्रहण में पिछड़ने पर निर्मित एवं विकसित आधारभूत संरचनाओं का समुचित उपयोग शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नहीं किया जा सकेगा एवं इसका लाभ शहरी निवासियों को नहीं मिल पाएगा। फलस्वरूप विश्व बैंक के द्वारा भी राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए राजस्व संग्रहण अनुश्रवण कोषांग के गठन का परामर्श दिया गया है ताकि कोषांग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के विभिन्न स्रोतों को चिन्हित कर उनके संग्रहण में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

8. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थापित सर्वश्री जुडको लि० के स्तर पर राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व संग्रहण एवं अनुश्रवण के लिए राजस्व संग्रहण एवं अनुश्रवण कोषांग के रूप में Project Management Unit (PMU) का गठन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व के स्रोतों की पहचान करना, राजस्व संग्रहण में हो रही कमी को दूर कर राजस्व को बढ़ाने के लिए योजना तैयार करना, राजस्व संग्रहण हेतु वार्षिक/मासिक लक्ष्य निर्धारण करना, निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण कराना, नियमित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना, प्रमंडलवार राजस्व संग्रहण का मासिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदित विवरणी को सत्यापित करना, इत्यादि होगा।

9. प्रसंगाधीन राजस्व संग्रहण एवं अनुश्रवण कोषांग में निम्नांकित मानव बल कार्यरत रहेंगे :

क्र०	पदनाम	संख्या	योग्यता एवं अनुभव	कर्तव्य विवरणी
i	ii	iv	v	vi
1.	मुख्य अनुश्रवण पदाधिकारी	01	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखा/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित में से किसी एक विषय में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर। अथवा एम०बी०ए० (वित्त) में पूर्णकालिक स्नातक/सी०ए० फाइनल/आई०सी०डब्लू०ए० फाइनल। उपर्युक्त विषयों के साथ कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग विषय के रूप में अतिरिक्त विषय रहने पर अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। (2) संबंधित क्षेत्रों में 10 वर्षों का कार्य अनुभव।	परियोजना प्रबंधक इकाई में मुख्य अनुश्रवण पदाधिकारी का कार्य विस्तार (Scope of Work) :- 1. शहरी निकायों के राजस्व संग्रहण हेतु योजना तैयार करेंगे, लक्ष्य का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगे तथा संबंधित अधिनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को दिशा निर्देश देने का कार्य करेंगे। 2. विभाग एवं नगर निकायों के बीच राजस्व संग्रहण से संबंधित विषयों पर समन्वय स्थापित करेंगे। 3. निकायवार, प्रमंडलवार राजस्व संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति का पाक्षिक एवं मासिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदित पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। 4. अपने प्रतिवेदी पदाधिकारी निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/विभाग को सभी प्रकार का प्रतिवेदन का समर्पण एवं उनसे आदेश-निदेश प्राप्त करेंगे। 5. उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
2.	अनुश्रवण पदाधिकारी	05	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखा/अर्थशास्त्र/एम०बी०ए० (वित्त)/सांख्यिकी/गणित में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर/सी०ए० फाइनल/आई०सी०डब्लू०ए० फाइनल। उपर्युक्त विषयों के साथ कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग विषय के रूप में अतिरिक्त विषय	परियोजना प्रबंधक इकाई में अनुश्रवण पदाधिकारी का कार्य विस्तार (Scope of Work) :- 1. अपने प्रतिवेदी पदाधिकारी मुख्य अनुश्रवण पदाधिकारी को सभी प्रकार का प्रतिवेदन का समर्पण एवं उनसे आदेश-निदेश प्राप्त करेंगे। 2. प्रमंडलवार राजस्व संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति का पाक्षिक एवं मासिक प्रतिवेदन तैयार कर मुख्य अनुश्रवण

3327  
23/05/17

			रहने पर अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। (2) संबंधित क्षेत्रों में 5 वर्षों का कार्य अनुभव।	पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। 3. प्रमंडलवार राजस्व संग्रहण से संबंधित विषयों पर समन्वय स्थापित करेंगे। 5. उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
3.	सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी	12	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखा/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित में पूर्णकालिक स्नातक/ सी0ए0 इन्टर/आई0सी0डब्लू0ए0 इन्टर। उपर्युक्त विषयों के साथ कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग विषय के रूप में अतिरिक्त विषय रहने पर अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। (2) संबंधित क्षेत्रों में 3 वर्षों का कार्य अनुभव।	परियोजना प्रबंधक इकाई में सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी का कार्य विस्तार (Scope of Work) :- 1. अपने प्रतिवेदी पदाधिकारी मुख्य अनुश्रवण पदाधिकारी एवं अनुश्रवण पदाधिकारी को सभी प्रकार का प्रतिवेदन का समर्पण एवं उनसे आदेश-निदेश प्राप्त करेंगे। 2. प्रमंडलवार राजस्व संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति का पाक्षिक एवं मासिक प्रतिवेदन तैयार कर मुख्य अनुश्रवण पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। 3. प्रमंडलवार राजस्व संग्रहण से संबंधित विषयों पर समन्वय स्थापित करेंगे। 5. उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक	03	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 (आई0टी0)/ बी0एस0सी0 (सी0ए0) में पूर्णकालिक स्नातक। (2) हिन्दी टाईपिंग में कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाईपिंग में कम-से-कम 40 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग की गति अनिवार्य अर्हता होगी। (3) संबंधित विषयों में 3 वर्षों का कार्य अनुभव।	मुख्य अनुश्रवण पदाधिकारी के साथ संलग्न।

10. परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit) के गठन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा सूचीबद्ध परामर्शीगण से प्रस्तुतीकरण एवं वित्त निविदा आमंत्रण के उपरांत, सुयोग्य परामर्शी का चयन सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची के द्वारा किया जायेगा।

11. प्रसंगाधीन परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन के उपरांत प्राप्त निर्धारण शुल्क (Retainership Fee) एवं प्रबंधकीय व्यय (Management Expences) का वहन/प्रतिपूर्ति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जाएगी।


12. प्रसंगाधीन परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit) की कार्यालय स्थापना, कार्य संचालन, क्षेत्रीय भ्रमण एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु विभाग के द्वारा सर्वश्री जुडको लि0 को आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका वास्तविक व्यय के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सर्वश्री जुडको लि0 के द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत दो माह के भीतर विभाग को समर्पित किया जाएगा।

इसके अलावा, विभागीय संकल्प-6821 दिनांक-14.12.2016 के आलोक में सर्वश्री जुडको लि0 को बतौर एजेंसी चार्ज यथा अनुमान्य राशि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

13. सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा प्रत्येक माह के प्रत्येक पक्ष में शहरी स्थानीय निकायवार यथानिर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन एवं समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ आवश्यक सुझाव विभाग में समर्पित किये जाएंगे तथा निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संभव कार्रवाई एवं पहल की जाएगी।
14. परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit) का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/सा०स्था०-32/2016/न०वि०आ०...3327

राँची, दि०- 23.05.2017


प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/सा०स्था०-32/2016/न०वि०आ०...3327

राँची, दि०- 23.05.2017

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड, राँची/सभी शहरी स्थानीय निकाय/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव।